

प्रेषक,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, आगरा।

सेवा में,

श्री संजीव कुमार सिंह (निदेशक),
मै0 उत्तम बैन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड,
पुत्र श्री उत्तम सिंह
निवासी-74 कालिंदी पुरम मऊ रोड़ आगरा।

संख्या- 208 / जि0पं0आ0 / वर्ष 2025-26

दिनांक- 17 / 04 / 2025

विषय-

विभाग द्वारा अनुमोदित किये गए नक्शे की वैधता के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अपने पत्र दिनांक 07.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें आपके द्वारा मै0 उत्तम बैन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा संचालित सुमन एन्कलेव के नाम से आवासीय कॉलौनी का निर्माण कराया जाना है। जिसका नक्शा आपके विभाग से अनुमोदित कराया गया है। हमने इस कॉलौनी के अनुमोदन हेतु रैरा में आवेदन किया गया है। जिसमें रैरा द्वारा नक्शों की वैधता के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है। आपसे अनुरोध है कि विभाग द्वारा पास किये गये सुमन एन्कलेव के ले-आउट प्लान की वैधता के सम्बन्ध में स्पष्टता प्रदान करना चाहा गया है, के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि संख्या-526/इक्कीस-1(1)/वि0सहा0 / 2019-20-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा-239 (1) एवं 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, आगरा ने जिला-आगरा के ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाले व्यवसायिक भवनों के निर्माण कार्य को नियंत्रित करने विषयक उपविधियाँ में अंकित सामान्य अनुदेश(ण) के बिन्दु संख्या-08 में व्यवस्था है कि उपविधियों के अधीन जारी अनुज्ञा, जारी होने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए ले-आउट प्लान/मानचित्र वैध एवं मान्य होगा।

भवदीय

(उमेश चन्द्र)

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत आगरा।

संख्या एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अभियन्ता, जिला पंचायत, आगरा।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत आगरा।